Phone & Fax- 0135-2530487, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक :- 518/10अधि0प्र0/2016 दिनांक : 12/05/2016

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
लो0नि0वि0 अल्मोड़ा/हल्द्वानी/
पौड़ी/देहरादून

मुख्य अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु /
ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक /
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0
देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु दिनाँक 01/05/2016 से लागू पुनरीक्षित केन्द्रीय **SOR** के संबंध में।

महोदय,

दिनाँक 18/04/2015 को लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स के वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री आर0 सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. श्री जी0एस0 बंसल, विशेषकार्याधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 देहरादून।
4. श्री के0के0 जैन, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
5. श्री के0के0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 टिहरी।
6. श्री बी0सी0 बिनवाल, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
7. श्री के0पी0 जोशी, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
8. श्री सत्येन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
9. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
10. श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त देहरादून।
11. श्री एस0के0 राय, अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त टिहरी।
12. श्री प्रमोद कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 देहरादून।
13. श्री सी0एम0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, मसूरी।
14. श्री एस0एस0 तोमर, वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
15. श्रीमती रचना थपलियाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
16. श्री वी0पी0 नौटियाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड देहरादून।
17. श्री वी0पी0 चौधरी, सहायक अभियन्ता, वि0याँ0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
18. श्री जे0एस0 चौहान, सहायक अभियन्ता, वि0याँ0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
19. श्री एन0एस0 रावत, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड देहरादून।
20. श्री वी0एस0 बिष्ट, टी0ए0सी0, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
21. श्री राजवीर सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून।

बैठक में समस्त संसाधनों, यथा श्रमिकों, मशीनरी एवं सामग्री की दरों के संबंध में विस्तृत विचार - विमर्श एवं चर्चा की गई। शेड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध मदों के संबंध में तथा नई मदें जिन्हें शेड्यूल ऑफ रेट्स में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, के संबंध में भी उपस्थित अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए गए एवं उनपर विस्तृत चर्चा की गई।

उपरोक्त बैठक में लो0नि0वि0 के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त Feedback एवं दरों तथा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित कर दिया गया है, जिसे दिनाँक 01/05/2016 से लागू समझा जाएगा। इस पुनरीक्षित शेड्यूल ऑफ रेट्स में निम्न प्राविधान/संशोधन किए गए हैं :–

1. समस्त श्रमिक संसाधनों की दरें SOR में कार्य की मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 की भाँति यथावत रखी गई हैं। परन्तु यदि मात्र श्रमिकों की आपूर्ति लेनी हो तो इस हेतु श्रमिक संसाधनों की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :

Type of Labour	Rate per Unit
Unskilled	275.00
Semiskilled	300.00
Skilled	390.00
Highly skilled A	480.00
Highly skilled B	500.00
Highly skilled C	510.00

2. मशीन संसाधनों की दरें भी पूर्व की भाँति यथावत रखी गई हैं। केवल मशीन संसाधन PMC0032, Tractor with Rotavator की मूल दर रू0 200.00 प्रति घण्टा से बढाकर रू0 360.00 प्रति घण्टा की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सामग्री संसाधनों की दरें वर्तमान बाजार दरों के आधार पर पुनरीक्षित कर दी गई हैं।

   उपरोक्त समस्त संसाधनों की दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स के software पर उपलब्ध करा दी गई हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु Roads and Bridges SOR के स्थान पर MORD की SOR को ही प्रयोग में लाए जाने का निर्णय लिया गया है चूँकि Roads and Bridges SOR में समस्त मदें एवं दर विश्लेषण MORD के Standard Data Book से ही ली गई हैं। अतः इस वित्तीय वर्ष हेतु Roads & Bridges SOR को पुनरीक्षित नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अब MORD की SOR का प्रयोग किया जायेगा। जो मदें MORD एवं MORTH की SOR में उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए MISCELLANEOUS ITEMS नाम से एक नया SOR गठित किया गया है।

5. फील्ड में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है कि केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स में Cartage की गणना हेतु ली गई Aggregate की 8 Cum Capacity पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की भार वाहक क्षमता मैदानी क्षेत्रों से कम होती है। अतः इस वित्तीय वर्ष हेतु समस्त Aggregate संसाधनों हेतु Capacity को 8 Cum के स्थान पर 6.5 Cum कर दिया गया है।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त शेड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध मदों एवं उनके दर विश्लेषण में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं :–

   (i) Crash Barrier (SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 10–1 एवं 10–2) के दर विश्लेषण में Plain Cement Concrete M-15 द्वारा Fixing की दरें सम्मिलित कर दी गई हैं।

(ii) Cleaning of Fully Choked and Partially Choked Scupper की दरें SOR में सम्मिलित कर दी गई हैं। (SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 42–1 एवं 42–2)

(iii) 1200 mm एवं 1000 mm NP3 Hume Pipe की दरें संशोधित कर दी गई हैं।

(iv) Slurry Seal, Fog Spray एवं Microsurfacing की दरें SOR सम्मिलित कर दी गई हैं। (SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 38, 39 एवं 40)

(v) Edge Stones की Per No. दरें भी SOR में सम्मिलित कर दी गई हैं।(SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 41)

प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. विशेषकार्याधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता / विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0याँ0 लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध करांना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर –I .लो0नि0वि0 देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, देहरादून

(ii) Cleaning of Fully Choked and Partially Choked Scupper की दरें SOR में सम्मिलित कर दी गई हैं। (SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 42–1 एवं 42–2)

(iii) 1200 mm एवं 1000 mm NP3 Hume Pipe की दरें संशोधित कर दी गई हैं।

(iv) Slurry Seal, Fog Spray एवं Microsurfacing की दरें SOR सम्मिलित कर दी गई हैं। (SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 38, 39 एवं 40)

(v) Edge Stones की Per No. दरें भी SOR में सम्मिलित कर दी गई हैं।(SOR Miscellaneous Items की मद संख्या 41)

12/5/16

प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
6. विशेषकार्याधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता / विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि०यॉ० लो०नि०वि० उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध करांना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर –I ,लो०नि०वि० देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता टी०ए०सी० वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०, देहरादून